पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र लादुराम का प्रस्तुत किया एवं साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा गुगरियाली के खाता संख्या 408 प्रदर्ष–1 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा गुगरियाली के खाता संख्या 410 प्रदर्ष–2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 क्रमशः राजू, ओमा व सरिता ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भंवराराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गुगरियाली का खसरा नम्बर 158 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 159 रकबा 7.1467 हैक्टेयर, खसरा न म्बर 455 रकबा 0.0324 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुगरियाली का खसरा नम्बर 213 रकबा 7.1305 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 लादुराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में खसरा नम्बर 404/497 रकबा 0.7608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 2.4443 हैक्टेयर रखा गया है।
4. 2 से 4 क्रमशः राजू, ओमा व सरिता द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. शेंष खाते यथावत घोषित किये जाते है।
6. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner